

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-176 / 2009
 संस्थित दिनांक-02.04.2009
फाईलिंग क.234503000472009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// विरुद्ध //

1-विनोद भलावी पिता श्यामलाल भलावी, उम्र-25 वर्ष,
 निवासी-ग्राम छापुरटोला(बोदलबहरा), चौकी सोनेवानी,
 थाना-रूपझर, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

2-महिपाल टेकाम पिता कृपालसिंह टेकाम, उम्र-26 वर्ष,
 निवासी-ग्राम बोदलबहरा, चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-09/05/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के तहत आरोप है कि उन्होने दिनांक-02.03.2009 व दिनांक-03.03.2009 की दरम्यानी रात्रि में थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लौगुर में लालसिंह वल्द बोदी के घर के पास सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में वनविभाग के कब्जे की सौर उर्जा की एक लाईट एवं दो प्लेट कीमती करीब 12,000/-रुपये को उनकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि शरद क्षत्रिय ने दिनांक-09.03.2001 को पुलिस थाना रूपझर आकर लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज कराई कि लौगुर में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। दो माह पूर्व विभाग ने सौर उर्जा से संचालित तीन लाईट जो सड़क पर प्रकाश के लिए लगाई गई थी, उसे दिनांक-02.03.2009 की रात्रि में अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। चोरी गई तीन लाईट की कीमत लगभग 12,000/-रुपये थी, उसने वन सुरक्षा समिति के साथ तलाश की, परंतु उसे

पता नहीं चला। उपरोक्त आधार आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-27/09, धारा-379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर, फरियादी एवं साक्षियों के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध संदेह जाहिर किये जाने पर आरोपीगण को तलब कर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से चोरीशुदा संपत्ति जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-02.03.2009 व दिनांक-03.03.2009 की दरम्यानी रात्रि में थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लौगुर में लालसिंह वल्द बोदी के घर के पास सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में वनविभाग के कब्जे की सौर उर्जा की एक लाईट एवं दो प्लेट कीमती करीब 12,000/-रुपये को उनकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष:-

5— शरद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना 2 मार्च वर्ष 2009 की लौगुर की रात्रि की है। वन विकास ग्राम अधिनियम के तहत लगाए हुए सौर उर्जा वाले तीन लाईट गांव में लालसिंह व दादूलाल के घर के बीच में लगे हुए थे, जिन्हें कोई अज्ञात चोर चुरा ले गए थे, जिसकी कीमत लगभग 12,000/-रुपये की थी। उक्त घटना का लिखित आवेदन उसने थाना रूपझर को दिया था। आवेदन प्रदर्श पी-1 है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दर्ज की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी और मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक-02.03.2009 की है। जबकि घटना की रिपोर्ट घटना के एक सप्ताह बाद की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने चोरी होते हुए स्वयं नहीं देखी।

6— जितेन्द्र उइके (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय वन परिक्षेत्र लौंगुर में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना वर्ष 2009 की जनवरी या फरवरी माह की है। घटना से पूर्व उसने दो अजनबी व्यक्तियों को रोड पर घूमते हुए देखा था। बाद में उसे जानकारी हुई कि सौर उर्जा प्लेट चोरी हो गई है। उसने पुलिस को उपरोक्त दो लड़कों के उपर शक होना बताया था कि उन्होंने प्लेट व लाईट चोरी की होगी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने किसी को लाईट चोरी करते हुए स्वयं नहीं देखा था।

7— अभियोजन साक्षी लालसिंह (अ.सा.3), दादूलाल (अ.सा.4), विनोद (अ.सा.5), कुमारी सरिता (अ.सा.8) ने कहा है कि वे आरोपीगण को नहीं जानते। उन्हें घटना की यह जानकारी है कि सौर उर्जा प्लेट चोरी हो गई थी, परन्तु कौन चोरी कर ले गया था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

8— अभियोजन साक्षी कुंवरसिंह (अ.सा.7) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे सुबह पता चला था कि सौर उर्जा प्लेट की चोरी हो गई है। चोरी किसने की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपीगण के विषय में यह बात बताई थी कि उसने आरोपीगण को संदिग्ध अवस्था में घटना के समय घूमते देखा था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

9— कन्हैयालाल (अ.सा.9) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके घर के सामने सौर उर्जा लाईट जल रही थी और सुबह उठने पर वह चोरी हो गई थी, उसे जानकारी नहीं है कि किसने चोरी की थी। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर साक्षी ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया और पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

10— सेहतरसिंह (अ.सा.10) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना उसके बयान देने से दो-तीन वर्ष पूर्व की है। सौर उर्जा प्लेट चोरी हो गई थीं। पुलिस ने उसके सामने किसी से पूछताछ नहीं की थी और न ही उसने पुलिस को बताया कि आरोपीगण सौर उर्जा की प्लेट चोरी करके ले गए थे।

11— के.पी. मिश्रा (अ.सा.13) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-09.03.2009 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आवेदक शरद क्षत्रिय वन रक्षक लौगूर ने लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक-27/09, अंतर्गत धारा-379 भा.द. सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख की थी, जिसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर किये थे। घटनास्थल जाकर मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे।

12— भगतसिंह (अ.सा.15) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.03.2009 को थाना रूपझर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-27/09, धारा-379 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हाने पर साक्षी कुंवरसिंह पन्ने, जितेन्द्र एवं दिनांक-28.03.2009 को कन्हैयालाल, सेहतरसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-20.03.2009 को आरोपी महिपाल को अपनी अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ की थी। पूछताछ पर आरोपी महिपाल ने प्रदर्श पी-6 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें आरोपी महिपाल ने उसके द्वारा चोरी किये गए सामान सौर उर्जा की प्लेट अपने पास रखना बताया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने अपने आधिपत्य से निकालकर पेश करने पर साक्षियों के समक्ष आरोपी महिपाल से सौर उर्जा प्लेट, एक नग सौर उर्जा लाईट का लैम्प तीन बल्ब वाला एवं तीन नग पाना जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर आरोपी तथा साक्षियों के हस्ताक्षर भी लिये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी विनोद भलावी को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया था, पूछताछ पर आरोपी विनोद ने साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-7 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें आरोपी और साक्षियों के हस्ताक्षर कराया था। उक्त मेमोरेण्डम कथन में आरोपी विनोद ने बताया था कि उसने सौर उर्जा लाईट वाली दो प्लेटे एवं लाईट चोरी

की थी, जिसकी एक प्लेट उसके पास रखी है। आरोपी विनोद के द्वारा अपने आधिपत्य से निकाल कर पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-9 अनुसार संपत्ति जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर भी लिया था। उक्त दिनांक को प्रार्थी शरद क्षत्रिय से आर्टिकल ए-1, सौर उर्जा प्लेट की रसीद जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-20.03.2009 को आरोपी महिपाल एवं विनोद को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 एवं 12 तैयार किया था, जिनके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन थाने पर लेख किये थे।

13— माखन (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके समक्ष आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये गए थे और न ही कोई जप्ती हुई थी, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 एवं 7 तथा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 एवं 9 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह प्रकरण में फरियादी शरद क्षत्रिय को नहीं जानता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी महिपाल ने उसके समक्ष यह बताया था कि उसने आरोपी विनोद के साथ मिलकर सौर उर्जा प्लेट चोरी की थी और उनमें से एक अपने पास रखी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी विनोद ने भी एक प्लेट अपने पास रखे होने का मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था। साक्षी ने विवेचक द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही स्वयं के समक्ष होने से इंकार किया है।

14— मन्नूलाल मेरावी (अ.सा.12) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण व प्रार्थी शरद को नहीं जानता। उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष चोरी की घटना को लेकर कभी कोई कार्यवाही की थी या नहीं। आरोपीगण ने उसके सामने चोरी करना स्वीकार नहीं किया था और न ही कोई बयान दिया था। मेमोरेण्डम कथन पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्र प्रदर्श पी-8, 9, 10 पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11, 12 पर उसके हस्ताक्षर हैं, परन्तु गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके सामने नहीं

हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे। पुलिस ने उसे यह भी नहीं बताया था कि किस बात को लेकर उसके हस्ताक्षर दस्तावेजों पर कराए जा रहे हैं। साक्षी ने यह भी कहा था कि जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब विनोद, महिपाल नाम का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं थे।

15— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी शरद क्षत्रिय (अ.सा.1) की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख की गई थी और विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

16— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 व 7 लेख कराया गया था, जिसके आधार पर आरोपीगण के आधिपत्य से चोरी की गई संपत्ति जप्त की गई एवं प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 की कार्यवाही की गई थी। विवेचक साक्षी भगतसिंह (अ.सा.15) ने स्वयं द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित कर यह कहा है कि उसने आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन लेख किया था, जिसमें आरोपीगण ने बताया था कि उन्होंने चोरी की थी। इसके पश्चात उसने आरोपीगण के आधिपत्य से चोरी की गई संपत्ति उनके बताए अनुसार जप्त किया था। उपरोक्त मेमोरेण्डम तथा जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी माखन (अ.सा.11) तथा मन्लाल मेरावी (अ.सा.12) द्वारा समर्थन नहीं किया जाकर यह कहा गया है कि उन्होंने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त यदि अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विचार किया जाए तो साक्षी शरद क्षत्रिय (अ.सा.1), संजय (अ.सा.2), बालसिंह (अ.सा.3), दादूलाल (अ.सा.4), विनोद (अ.सा.5) ने यह कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानते और न ही उन्होंने आरोपीगण को चोरी करते हुए देखा था। शेष अभियोजन साक्षीगण द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने आरोपीगण को चोरी करते हुए देखा था। अभियोजन साक्षी जितेन्द्र उइके (अ.सा.6) ने यह कहा है कि घटना से पूर्व मौके पर आरोपीगण घूम रहे थे, जिन पर उसे शक था, परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि वह आरोपीगण के विषय में यह नहीं कह सकता कि जिन पर उसे शक था, वे आरोपीगण ही हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा चोरी की गई। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड

संहिता की धारा-379/34 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपीगण को उपरोक्त धारा में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18— प्रकरण में आरोपी महिपाल तथा विनोद दिनांक-20.03.2009 से दिनांक-24.03.2009 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो नग सौर उर्जा प्लेट एवं सौर उर्जा लाईट सुपुर्ददार संजय गिरी पिता नंदलाल गिरी को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् अंतिम रूप से सुपुर्ददार के पक्ष में माना जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

cSgj
दिनांक-09.05.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट